न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/917

1. श्रीमती गीता देवी पुत्री रामदेवा पत्नी राधेश्याम सैनी हाल निवासी नानुवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मनोहर लाल सैनी पुत्र रामकुमार तथाकथित दत्तक पुत्र रामदेव जाति माली निवासी नयाबास वार्ड नम्बर 54 कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. तहसीलदार (भू अभिलेख) झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 08.05.2024 प्रकरण अपील संख्या 01/2024 उनवानी मनोहर लाल सैनी बनाम गीता देवी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर मृतक रामदेवा के विधि के वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री सी. एस. धाकड़, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री एच. सी. मौर्य, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 25.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 08.05.2024 के खिलाफ दिनांक 03.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 मनोहर लाल सैनी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के समक्ष प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 5480 दिनांक 24.02.2024 विरासत रामदेवा पुत्र मालाराम को निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी (आवेदक) मनोहर लाल सैनी स्व० रामदेवा के वैध वारिस में एक मात्र दत्तक पुत्र मनोहरलाल व पुत्री गीता देवी है। इनके अलावा स्व० रामदेवा के अन्य कोई वारिस नही है। मनोहरलाल की बहन गीता देवी ने सही तथ्य छुपाकर गलत दस्तावेजों के तथा गलत सजरा पेश कर स्व० रामदेव के सम्पूर्ण हिस्से की जमीन का नामान्तकरण अपने हक में गलत रूप से दर्ज करवाने का आवेदन किया जो विधि विरूद्ध है। गलत नामान्तकरण की आड में प्रार्थीया उक्त सम्पूर्ण जमीन को हड़पकर खुर्द–बुर्द करना चाहती है इसलिये स्व० रामदेवा के विधि वारिसों में भाई मनोहरलाल सैनी व बहन गीता देवी है। लिहाजा बाद जॉच विरासत का नामान्तकरण स्व० रामदेव पुत्र मालाराम की पुस्तैनी भूमि में 1/2 मनोहरलाल के व 1/2 बहिन गीता देवी पुत्री रामदेवा के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रार्थी मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेवा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर कस्बा झुंझुनूं में स्थित कृषि भूमि मृतक रामदेवा के नाम दर्ज हाल खाता संख्या 813 के खसरा नम्बर 759, 760, 761, 762 कुल किता 4 कुल रकबा 5.1600 है० में संयुक्त खातेदारी में मृतक रामदेवा के हक हिस्सा 22657/51600

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

है0 में मृतक रामदेवा के विधि के वारिसान आवेदक मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेव व गीता देवी पुत्री रामदेव के नाम बहिस्सा बराबर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये।

3. न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 08.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती गीता देवी पुत्री रामदेवा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 को निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के हक में विरासतन नामान्तरकरण संख्या 5480 निरस्त दिनांक 03.04.2024 को बहाल किया जाकर अपीलान्ट के हक में विरासतन नामान्तरकरण पुनः तस्दीक किये जाने का आदेश तहसीलदार झुन्झुनूं को दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आदेश दिनांक 08.05.2024 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15.03.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को दिनांक 27.03.2024 के लिए दिनाक़ 20.03.2024 को नोटिस जारी किया गया था। अपीलान्ट दिनांक 27.03.2024 को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के यहा प्रकरण में उपस्थित हुई। अपीलान्ट ने दिनांक 27.03.2024 को उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने को समय चाहा गया था। अपीलान्ट ने दिनांक 08.04.2024 को नोटिस का जवाब मय शपथ पत्र पेश किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08.04.2024 को प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 08.05.2024 को कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर बिना क्षेत्राधिकार के शिकायतकर्ता (मनोहर लाल सैनी) को मृतक रामदेव का दत्तक पुत्र घोषित कर मृतक रामदेव की कृषि भूमि में अपीलान्ट के साथ शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) को 1/2 हक हिस्से की खातेदारी प्रदान कर गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। इस कारण आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अदालत मातहत के समक्ष वार्ड पार्षद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। वार्ड पार्षद को कानूनन वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने 2 रूपये "स्टाम्प की लिखा पढी की फोटो प्रति अदालत मातहत के समक्ष पेश की गई थी। कानूनन दस्तावेजात की फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राहय नही होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा "2 रूपये स्टाम्प की लिखा पढी" को गोदनामा मान कर विधिक गलती की गई है। इस कारण आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पहचान के दस्तावेज फर्जी एवं कुटरचित पेश किये गये है। इस बाबत अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब नोटिस में कथन किया गया था। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष जवाब नोटिस में यह भी कथन किया था कि शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) के समस्त शिक्षा के दस्तावेज में जायन्दा पिता रामकुमार का नाम दर्ज रहा है। अपीलान्ट ने जवाब नोटिस में यह भी कथन किया था की कानूनन पंजीकृत गौदनामा होने व सिविल न्यायालय द्वारा दत्तक पुत्र घोषित होने पर ही शिकायकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के दत्तक पुत्र होने की कानूनन उपधारणा ली जा सकती है। अपीलान्ट ने जवाब नोटिस में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि अपीलान्ट के माता व पिता ने स्वयं के जीवन काल में किसी को भी लिखित अथवा मौखिक गोद नही लिया था। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब नोटिस में आपत्ति ली गई थी की गौद पुत्र होने व नही होने के बिन्दू को तय करने का समुचित मंच व क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को कानूनन प्राप्त नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों व आपत्तियों की अदालत मातहत द्वारा बिना न्यायिक

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

विवेचना किये आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 विधि व तथ्य की भूल कारित कर पारित किया गया है। इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। गोद का पुत्र घोषित करने का क्षेत्राधिकार कानूनन सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शिकायकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) को दत्तक पुत्र घोषित कर कानूनी भूल कारित कर आदेश जैर बहस किया गया है। इस कारण आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अ. धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में "पटवारी द्वारा वारिसान की जांच का प्रावधान नही होने के बावजूद भी पटवारी से वारिसान की जांच करवाकर पटवारी हल्का की वारीसान की जांच को आधार मानकर गलत रूप से आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किया गया है। पटवारी हल्का झुंझुनूं पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 5480 पर आपत्ति पेश होने से पहले ही दिनांक 24.02.2024 को "वारीसान जांच अभाव मे नामान्तकरण निरस्त करने की रिपोर्ट पेश की गई थी।" पटवारी हल्का की वारीसान जांच रिपोर्ट एक पक्षीय व शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) के बैजा प्रभाव में शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) के परिवारजन के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर करवाकर गलत रूप से तैयार की गई है। इस कारण भी आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है।

अदालत मातहत द्वारा दान पत्र को गोदपत्र गलत माना व आदेश मे प्रदर्श 1 लगायत 8 गलत रूप से अंकित किये है। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में असल दस्तावेजात पेश नही हुए थे तथा शिकायतकर्ता की शपथ पत्र अथवा मौखिक रूप से साक्ष्य नही हुई थी। अदालत मातहत द्वारा 2 रूपये की स्टाम्प लिखा पढी को गौदनामा का दस्तावेज आदेश मे गलत रूप से अंकित किया है। अदालत मातहत द्वारा दान पत्र में धोखाधड़ी पूर्वक दर्ज "पुत्र" शब्द के आधार पर शिकायतकर्ता के हक में गोद की उपधारणा गलत रूप से की गयी है। मृतक रामदेव अनपढ़ व अंगूठा निशानी करने वाला काश्तकार रहा है। दान पत्र व गोदपत्र अलग अलग कानूनी दस्तावेज है तथा उक्त दोनों दस्तावेजों के अलग अलग प्रभाव व महत्व है। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त विधि व तथ्य की भूल पारित कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा कानून वैध गोद का असल दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं होने पर भी "दो रूपये की स्टाम्प लिखापढ़ी" के आधार पर गोदनामा के फर्जी होने का प्रमाण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं करने का आधार आदेश में दर्ज कर विधि की भूल पारित कर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट के पिता रामदेव से फर्जी व कुटरचित दानपत्र दस्तावेज तैयार करवाया है। अपीलान्ट ने मृतक रामदेव से स्वयं की पत्नी मैना देवी के नाम भी एक फर्जी एवं कुटरचित विक्रय पत्र तैयार करवाया है। अपीलान्ट उक्त दोनों फर्जी व कुटरचित दस्तावेजात दान पत्र व विक्रय पत्र के बाबत सक्षम सिविल व फौजदारी कार्यवाही अलग से करेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (3) पुत्र का दत्तक ग्रहण का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होने व उक्त अधिनियम की धारा 49 जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है उनके अरजिस्ट्रीकरण का परिणाम अरजिस्ट्रीय कृत दस्तावेज से दत्तक गृहण की कोई शक्ति प्रदान नहीं होने के कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सही अध्ययन व सही विवेचना नहीं कर न्यायिक दृष्टान्तों बाबत सरसरी तौर पर न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा नही होने का आदेश में कथन कर आदेश जैर बहस गलत रूप से पारित किया गया है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता रामकुमार के देहान्त पर प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि में शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के पिता मृतक रामकुमार का विरासतन नामान्तकरण संख्या 3584 दिनांक 17.02.2017 को शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के हक में भी

मृतक रामकुमार का पुत्र होने के आधार पर भरा गया था। नामान्तकरण संख्या 3584 के लिए जारी वारिस प्रमाण पत्र में रेस्पोडेन्ट सं. 1 को मृतक रामकुवार का पुत्र होना व शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) दुसरे व्यक्ति का दत्तक पुत्र नहीं होने के कारण ही विरासतन नामान्तकरण संख्या 3584 में नाम दर्ज हुआ था। इस प्रकार शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) ने गलत रूप से शिकायत कर व फर्जी व कुटरचित दस्तावेज पेश कर अदालत मातहत से आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 पारित करवाया गया है जो खारिज होने योग्य है। कानूनन एक व्यक्ति जैविक पिता व दत्तक पिता दोनों व्यक्तियों की सम्पति में उतराधिकार के जरिए हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वर्ष 2017 में नामान्तकरण 3584 के जरिये जायन्दा पिता रामकुमार की कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्वयं के नाम से 1/7 हक हिस्सा में खातेदारी प्राप्त की गयी है। इस कारण अपीलान्ट को पिता मृतक रामदेव के दत्तक पुत्र होने का शिकायतकर्ता (रेस्पोडेन्ट सं. 1) कानून अधिकारी नहीं है। इस कारण भी आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू दतक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 व रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, सम्पति अन्तरण अधिनियम, साक्ष्य विधि 1872 व राजस्व के सर्वोच्च अपीलीय व निगरानी अदालत राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित व विरोधाभाषी तथ्य अंकित कर आदेश जैर बहस दिनांक 08.05.2024 पारित किया है। इस कारण भी आदेश दिनांक 08.05.2024 खारिज होने योग्य है। अपील की मियाद कानूनन आदेश दिनांक से 30 दिन नियत है इस कारण अपीलान्ट द्वारा अन्दर मियाद अपील पेश है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा मु. नं. 1/2024 मुकदमा उनवानी मनोहरलाल सैनी बनाम गीता देवी किस्म प्रकरण 135 (2) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 को निरस्त किया जावें व अपीलान्ट के हक में विरासतन नामान्तकरण संख्या 5480 निरस्त दिनांक 03.04.2024 को बहाल किया जाकर अपीलान्ट के हक में विरासतन नामान्तकरण पुनः तस्दीक किये जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दिया जावें।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 मनोहर लाल सैनी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के समक्ष प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 5480 दिनांक 24.02.2024 विरासत रामदेवा पुत्र मालाराम को निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी (आवेदक) मनोहर लाल सैनी स्व० रामदेवा के वैध वारिस में एक मात्र दत्तक पुत्र मनोहरलाल व पुत्री गीता देवी है। इनके अलावा स्व० रामदेवा के अन्य कोई वारिस नही है। मनोहरलाल की बहन गीता देवी ने सही तथ्य छुपाकर गलत दस्तावेजों के तथा गलत सजरा पेश कर स्व० रामदेव के सम्पूर्ण हिस्से की जमीन का नामान्तकरण अपने हक में गलत रूप से दर्ज करवाने का आवेदन किया जो विधि विरूद्ध है। गलत नामान्तकरण की आड में प्रार्थीया उक्त सम्पूर्ण जमीन को हड़पकर खुर्द–बुर्द करना चाहती है इसलिये स्व० रामदेवा के विधि वारिसों में भाई मनोहरलाल सैनी व बहन गीता देवी है। लिहाजा वाद जॉच विरासत का नामान्तकरण स्व० रामदेव पुत्र मालाराम की पुस्तैनी भूमि में 1/2 मनोहरलाल के व 1/2 बहिन गीता देवी पुत्री रामदेवा के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रार्थी मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेवा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर कस्बा झुंझुनूं में स्थित कृषि भूमि मृतक रामदेवा के नाम दर्ज हाल खाता संख्या 813 के खसरा नम्बर 759, 760, 761, 762 कुल किता 4 कुल रकबा 5.1600 है० में संयुक्त खातेदारी में मृतक रामदेवा के

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

हक हिस्सा 22657/51600 है0 में मृतक रामदेवा के विधि के वारिसान आवेदक मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेव व गीता देवी पुत्री रामदेव के नाम बहिस्सा बराबर विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं की पत्रावली के अवलोकन से तथा दौराने बहस किये गये कथनों से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनोहरलाल सैनी ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष दिनांक 01.03.2024 को प्रस्तुत कर गलत प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 5480 दिनांक 24.02.2024 विरासत रामदेवा पुत्र मालाराम को निरस्त करने हेतु प्रार्थना की गई। जिस पर उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 01.03.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) के तहत कार्यवाही हेतु न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं को प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं ने प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत दर्ज किया गया।

तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व जॉच रिपोर्ट हल्का पटवारी व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुऐ बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। आवेदक द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेजात प्रर्दश–1. सजरा वार्ड पार्षद प्रर्दश–2. आधारा कार्ड व पेन कार्ड की प्रति प्रर्दश–3. ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति प्रर्दश–4. राशनकार्ड की प्रति प्रर्दश–5. ई–श्रम कार्ड की प्रति प्रर्दश–6. गैस कनेक्शन की पासबुक की प्रति प्रर्दश–7. पासपोर्ट की प्रति प्रर्दश–8. दान–पत्र की सत्यप्रतिलिपि व गोदनामा 2/– रूपये स्टाम्प पर दिनांक 01.03.1979 की प्रति के अवलोकन से मनोहरलाल पुत्र रामदेव नाम दर्ज होना स्पष्ट जाहिर है। दान–पत्र दिनांक 12.11.2010 रामदेवा पुत्र मालाराम जाति माली निवासी वार्ड न0 42 कस्बा झुंझुनूं बहक मनोहरलाल पुत्र रामदेवाराम जाति माली निवासी वार्ड नं0 42 कस्बा झुंझुनूं के नाम उप पंजीयक कार्यालय झुंझुनूं के पंजीबद्वशुदा पत्र अनुसार रामदेवा ने अपने खेत में अपने 1/2 हिस्से की जमीन में से 0.1672 है० जमीन के काश्तकारी व खातेदारी हक का दान बिना प्रतिफल के पुत्र स्वीकार करते हुए किया है। उक्त दस्तावेज का फर्जी होना किसी न्यायालय में प्रमाणित नही किया गया है और न ही किसी भी न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस प्रकार गोद–पत्र 2/– रूपये स्टाम्प पर लिखित अबारत अनुसार "सब भाईयों की इच्छा से व मेरी खुद की इच्छा से मेरे छोटे भाई रामकुमार का लडका मनोहरलाल को मैं गोद लिया जाना व मेरी जमीन व सब जायदाद का मालिक मनोहरलाल सैनी को मेरी इच्छानुसार बना दिया है। वरवक्त उपस्थित सभी के हस्ताक्षर करवा दिये है।" इस न्यायालय के समक्ष उक्त गोद पत्र के फर्जी होने का प्रमाण पेश नही किया गया है। इस प्रकार आवेदिका अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क व अपने तर्कों के समर्थन में जिन न्यायिक दृष्टांतों का अवलम्बन लिया है, जो इस आवेदन पत्र पर चस्पा नही होते है। उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है। हमने उभय पक्ष के विद्ववान अभिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व रिकार्ड स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेजात तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जिससे सभी प्रस्तुत दस्तावेजात में आवेदक मनोहरलाल की वल्दियत में रामदेवा नाम दर्ज है। जिसकी पुष्टि में जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी स्व० रामदेवा के वारिसानों की जांच में दत्तक पुत्र मनोहरलाल सैनी व पुत्री गीता देवी पुत्री होना बखुबी सिद्ध होता है। उक्त

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

सभी तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय मत पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय होने पर स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा आवेदक मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेवा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) स्वीकार किया जाकर कस्बा झुंझुनूं में स्थित कृषि भूमि मृतक रामदेवा के नाम दर्ज हाल खाता संख्या 813 के खसरा नम्बर 759, 760, 761, 762 कुल किता 4 कुल रकबा 5.1600 है० में संयुक्त खातेदारी में मृतक रामदेवा के हक हिस्सा 22657/51600 है० में मृतक रामदेवा के विधि के वारिसान आवेदक मनोहरलाल सैनी पुत्र रामदेव व गीता देवी पुत्री रामदेव के नाम बहिस्सा बराबर विरासत नामान्तरकरण दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि गोदनामा की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा जब तक सक्षम न्यायालय से गोदनामा निरस्त नहीं हो जाता तब तक गोद पत्र को विधिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर